प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक– **08 12 2014**

''बौद्धिक क्रान्ति '' के तहत

" भारतीय – संविधान , समस्या एवं निदान ।" कार्यक्रम

इन्द्रावती नगर कोहका में संपन्न ।

''**बौद्धिक क्रान्ति** '' श्रृखला की कड़ी में विगत 7 दिसम्बर 014 को **" भारतीय – संविधान , समस्या एवं निदान ।" विषय पर सामाजिक परिचर्चा संपन्न हुआ ।सर्व प्रथम गुरू घासीदास जी व डॉ बी आर आम्बेडकर जी** के तैल्य चित्र पर प्रेरणा स्वरूप दीप प्रज्वलित कर **सामूहिक गुरू वंदना** से परिचर्चा की शुरूवात हुयी ।**श्री त्रिलोचन डहरे जी** ने कार्यक्रम की भूमिका को स्पष्ट किया । ।इस अवसर पर बड़ी संख्या में बद्धिजीवयों ने भाग ले कर संबंधित विषय पर गहन चिंतन मनन किये ।**श्री एफ आर जनार्दन ,श्री विजय प्रताप कश्यप ,श्री वेदानंद दिव्य ,श्री आर के बंजारे जी** ने विशेष रूप से संबोधित किये ।परिचर्चा के दौरान अन्य बातों के अलावा **प्रथम भारत अधिनियम सन् 1919** ,लंदन में आयोजित **गोल मेंज सम्मेलन** ,अंग्रेजों द्वारा 17 अगस्त 1932 के अधिसूचित **कम्यूनल एवार्ड , 24** सितम्बर 1932 को **यरवदा जेल पूना** में **महात्मा गॉधी जी** व **डॉ. बी आर आम्बेडकर जी** के बीच संपन्न **पूना पैक्ट** तथा उसके स्वरूप , **डॉ. बी आर आम्बेडकर जी** द्वारा सन् 1947 में **पूना पैक्ट का धिक्कार** तत् पश्चात सन् 1982 में **माननीय कांशीराम जी** द्वारा **पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों और कैसे ?** संबंधित तथ्यों का जिक्र ,सन् 1935 की **द्वितीय भारत अधिनियम** देश के स्वतंत्र होने व **भारतीय संविधान** के में सृजन काफी सहायक नजर आते हैं ।भारतीय संविधान हमारे देश का अमूल्य धरोहर है ।संविधान निर्माताओं ने कड़ी मेहनत से इसे 2 साल ,11 माह ,18 दिन में तैयार कर चुनौती पूर्ण कार्य को कर दिखाया ।देश के संपूर्ण नागरिकों के हितों की सुरक्षा भारतीय संविधान ही कटीबद्ध है । भारतीय संविधान की सुरक्षा ही देश के संपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा है ,जिसे निरंतर मानिटर करने की आवश्यकता है ।**शरारतीय तत्वों द्वारा भारतीय संविधान को अपमानित व बदनाम करने की साजिस को नाकाम करना हम सबका कर्त व्य बनता है** ।देश का कोई भी व्यक्ति व कोई भी कानून **भारतीय संविधान** से उपर नहीं है ,इस बात की जानकारी होना चाहिये ।संविधान के रक्षकों को भी इस संबंध में अपनी नीति व नीयत साफ होना चाहिये **।इतिहास में हमारा नाम भारतीय संविधान के रक्षक की सूची में अंकित हो ,यह हमारा प्रयास की दिशा ही तय करेगा ।**

इस अवसर पर उपस्थित सर्व श्री तुला राम टण्डन ,गोविंद बर्मन ,मनी राम सोनवानी ,सुरशेन कुर्रे ,आशा राम टंडन ,पंच राम भार्गव ,एस डी खिलारी ,मनसुख घृतलहरे ,खुमान सिंह गायकवाड़ ,भुनेश्वर राम जांगड़े ,विशाल दास बंधे ,पी एल अहिरवार ,एन आर मनहर ,अजय कुमार देवांगन ,चंदन सिंह खाण्डेय ,एन डी बंजारे ,महेश कुमार ,धनेश राम पुरेना आदि की सक्रीय भूमिका रही । अंत में उपस्थित जनों ने **भारतीय संविधान** के **प्रस्तावना** के प्रति **संकल्प** लिये ।अगला कार्यक्रम 14 दिसम्बर को शाम **3 .00** बजे शांति नगर कोहका (सेण्ट जेवियर स्कूल के पास) आयोजित है ।

(एफ आर जनार्दन)

ब्यूरों चिफ **संयोजक**

"बौद्धिक क्रान्ति" श्रृखला,भिलाई नगर

प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक– **28 11 2014**

सतनाम धाम कोहका –भिलाई में ''भारतीय संविधान दिवस पर परिचर्चा '' संपन्न

भारतीय संविधान की प्रस्तावना ः- **"** हम भारत के लोग,भारत को एक सम्पूर्ण -प्रभुत्व –सम्पन्न समाजवादी ,धर्म निरपेक्ष ,लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक ,आर्थिक और राजनैतिक ...**न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ...स्वतंत्रता ,प्रतिष्ठा और अवसर की...समता, प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली ...**बंधुता** बढ़ाने के लिये ,दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख **26** नवम्बर **1949** ई. को एतद् द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत ,अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**"**

65 साल की लंबी अवधि गुजरने के बाद भी आम जनता की बात तो दूर है , भारतीय संविधान के सपथ लेने वालों को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना व उसमें निहित उद्देश्य की जानकारी का नितांत अभाव परिलक्षित होती है।इस अभाव को दूर करने के लिये हम समस्त भारत के नागरिकों को **26** नवंबर **भारतीय संविधान दिवस** को रेखांकित करने की अति आवश्यकता है। आज आम जनों में जागरूकता परिलक्षित होने लगी है। फलस्वरूप संपूर्ण भारत के कोने कोने में **26** नवम्बर को **भारतीय संविधान दिवस** मनाने का सिलसिला शुरूवात हो चुका है। इसी कड़ी में विगत **26** नवम्बर को **सतनाम धाम कोहका –भिलाई** में **भारतीय संविधान दिवस** का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरूवात मानवता के पोषक **गुरू घासीदास जी** व भारतीय संविधान के जनक **डॉ बी आर आंबेडकर** के तैल्य चित्र में दीप प्रज्वलन से शुरूवात हुयी ।बड़ी संख्या में, विभिन्न क्षेत्रों के चिंतन शील लोग उपस्थित हो कर परिचर्चा को सार्थक बनाये ।सर्व प्रथम **श्री एफ आर जनार्दन,** उप महा प्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र ने कार्यक्रम के आयोजन पर प्रकाश डाला ।परिचर्चा में भाग लेने अन्य चिंतकों में श्री त्रिलोक बौद्ध जी – वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, **श्री भागवत बंजारे जी** – भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, **श्री राजेश बंजारे जी** – युवा सामाजिक कार्यकर्ता, **श्री टी दास जी** – सेवा निवृत वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)भिलाई इस्पात संयंत्र एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, **श्री नोहर लाल कोसेवाड़ा जी** – सेवा निवृत शिक्षक भिलाई इस्पात संयंत्र एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकता, **श्री राम आशिष गौतम जी** – भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी एवं वरिष्ठ कवि, श्री **व्यास नारायण कुर्रे जी** – भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, **श्री वेदानंद दिव्य जी** – भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदि थे। वक्ताओं ने **26** नवम्बर **भारतीय संविधान दिवस** को रेखांकित करने पर जोर दिये। भारत में **26** नवम्बर **1949** के पहले प्रत्येक समुदाय का अपना अपना कानून था। भारत के बहु संख्यक समाज मानवीय मूल भूत अधिकार से वंचित थे ।अनेक मानवतावादी संतों व महात्माओं ने अपने अपने तरीके से देश के समस्त नागरिकों विशेष कर सदियों से वंचितों को उनका मानवीय हक दिलाने का भरषक प्रयास किये थे। सन् **1825** में शिक्षा का **सेक्यूलर** होना , बाबा **गुरू घासीदास जी** के बौद्धिक क्रान्ति (सन् **1820** से सन् **1830** तक) का ही प्रभाव नजर आता है। इसी कड़ी में सन् **1848** में **महात्मा ज्योतिबा फूले** व उनकी पत्नी **श्री मती सावित्री बाई फूले** ने शिक्षा को सदियों से वंचितों तक पहुँचाने में अथक प्रयास किये। सन् **1919** का **प्रथम भारत अधिनियम** ,सन् **1930-**

31 का लंदन में **गोल मेज कान्फ्रेंस** ,सन् **1932** में अंग्रेजों द्वारा सदियों से वंचितों को **कम्यूनल एवार्ड** का विशेष महत्व रखता है। **24** सितम्बर सन् **1932** के **पूना पेक्ट** से चमचागिरी युग की शुरूवात हुयी, जिसे स्वयं **डॉ आम्बेडकर** ने स्वीकारा व इसे धोखा निरूपित कर मौखिक व लिखित रूप में धिक्कार भी किया। यह भी सर्व विदित है कि **महात्मा गॉधी जी** व **डॉ बी आर आम्बेडकर** के सदैव सिद्धांतिक मत भेद रहा है, जिसे आम जनों को भी जानने की जरूरत है। महात्मा गॉधी जी वर्ण व्यवस्था के कट्टर पोषक थे व छुआछुत के खिलाफ थे, अछूतों को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र का दर्जा दिलाने के लिये संघर्ष किये । वही डॉ बी आर आम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे तथा देश के अछूतों को ही नहीं बल्कि समस्त नागरिकों को मानवता का दर्जा दिलाने के लिये आजीवन संधर्ष करते रहे, जो भारतीय संविधान के प्रस्ताावना में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सन् **1935** को **द्वितीय भारत अधिनियम** के बाद **15** अगस्त सन् **1947** को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुयी। संविधान सभा में जाने के लिये **डॉ. आम्बेडकर** को काफी संघर्ष करना पड़ा। **डॉ आम्बेडकर** ने अपनी विद्वता से संविधान के **ड्राफ्टिंग कमेटी** के चेयर मेन बने। अन्य सदस्य ः**-1 अलान्दी कृष्ण स्वामी आयर, 2 एन गोपाल स्वामी आयंगर, 3 के. एम. मुंशी, 4 सैयद मुहम्मद सादुल्ला, 5 बी. एल. मित्र, 6 डी. पी. खेतान,** संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में रह कर भी विशेष योगदान नहीं कर पाये। संविधान ड्राफ्टिंग की संपूर्ण जिम्मेदारी **डॉ आम्बेडकर** को ही उठाना पड़ा व मात्र **2 साल 11 महिने 18 दिन** में ही दुनियॉ का **सर्व श्रेष्ठ संविधान** भारत को दे दिये। यह उनकी विद्वता, अनुभव व दूर दर्शिता का ही परिणाम है, जो किसी से छिपी नहीं है।

तत्कालीन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री **श्री जवाहर लाल नेहरू जी** ने स्वयं **डॉ आम्बेडकर** को **भारतीय संविधान का जनक** निरूपित किया। सदियों से प्रचलित असमतावादी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था व भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों के लिये प्रस्तावित **समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय** वाली व्यवस्था के बीच विरोधावास होना स्वाभाविक है। इस तथ्य की जानकारी स्वयं **डॉ आम्बेडकर** ने संविधान को सौपते वक्त आगाह कर दिया था व सामाजिक व आर्थिक गैर बराबरी को जितनी जल्दी हो सके दूर करने का सलाह भी दे दिये थे।आज भी इस तथ्य पर पुनः गौर करने की जरूरत है।गैर बराबरी के शिकार लोगों में **बौद्धिक क्रान्ति** लाने की जरूरत है।"**भारतीय संविधान ,समस्या व निदान**" का अभियान चलाकर, **केद्र बिन्दुओं** का जाल बिछा कर**, अल्प कालीन निदान –दीर्घ कालीन निदान** व **स्थायी निदान** के तौर तरीकों के लिये आम जनों में **जरूरत, चाहत व ताकत** पैदा करना ही होगा।जहॉ तक **स्वच्छ भारत** बनाने का सवाल है, यह सिर्फ **भारतीय संविधान** के **प्रस्तावना** व **प्रावधानों** को सही **नीयत** और **नीति** से लागू कर के ही किया जा सकता है। **बिना जातीय स्वभाव को पूरी तरह खत्म किये बिना भारत कभी स्वच्छ नहीं हो सकता**।

इस अवसर पर तुलाराम टंडन, आर सी कोरी, गोविंद सिंह जाटव,देव प्रसाद आनंद,फत्तु राम जोशी, नंद कुमार हरिशंकर धृतलहरे, सजीवन साहू, नोहर दास साहू, घसिया राम राय, दिनेश कुमार, सुरेश विश्वकर्मा, संत ज्ञानेश्वर गायकवाड़, मानसिंह राय, हरिदास, मोमत किशोर मनहर, प्रदीप गिलहरे, चन्द्रभान बांधे, राज कुमार बंजारे, देवेन्द्र कुमार राय, राम जी ठाकुर, आर के कुंवर त्रिलोचन डहरे, विशे लाल कुर्रे, भुवन दास कोसरिया, सीशुराज कोसरिया, जे आर सोनवानी, दीनानाथ, दिनेश राम आदि भी विशेष रूप से परिचर्चा में उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित जनों द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रति संकल्प लिया गया। श्री गेंद लाल राय जी ने आभार प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का सफल संचालन श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे जी ने किया। सतनामी कल्याण समिति कोहका के समस्त पदाधिकारियों व अध्यक्ष श्री मानसिंह राय का विशेष योगदान रहा। रायपुर में भी सामाजिक न्याय मंच के तहत सम्पन्न हुआ सभी समुदाय व धर्म के लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लेकर संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया

एफ आर जनार्दन – संयोजक संविधान दिवस आयोजन समिति भिलाई नगर

ऐतिहासिक दिन : देश को नई दिशा दी

आज ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 में स्वीकार किया गया। अमेरिका में 1779 में संविधान बन चुका था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम (यूके) में उस तरह का संविधान नहीं है, लेकिन वहां मैग्नाकार्टा जैसी संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था कायम हो चुकी थी जिसके तहत राजा ने अपनी जनता के साथ अपने अधिकारों को बांट लिया था। 1950 के बाद विश्व के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया। भारत उनमें सबसे पहले है। जब सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ तो उस समय कंस्टीट्यूशनल सेटेलमेंट की बात उठी, क्योंकि भारत एक विभाजित देश है और यह कई जातियों, धर्मों, रीति-रिवाजों, समुदायों और क्षेत्रों में बंटा हुआ है। संविधान निर्माण के जरिए इस बिखरे हुए लोगों के समुदाय को एक राष्ट्र करने की कोशिश की गयी। हालांकि भारत इसमें कितना सफल हो पाया है, यह एक गंभीर बहस का मुद्दा है। जब अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने को तैयार हुए और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो इससे पहले कंस्टीट्यूशनल सेटेलमेंट की बात उठी। अंग्रेजों ने यह तय करना जरूरी समझा कि भारत को सत्ता के हस्तानांतरण के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लागू हो। अगर हम बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को देखें तो यह साफ होता है कि कंस्टीट्यूशन सेटेलमेंट को लेकर वह कितने गंभीर थे। बाबा साहब इस बात को लेकर हमेशा सक्रिय रहे कि भारत में कंस्टीट्यूशनल सेटेलमेंट कैसे हो। उनका मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगी जब उसे संवैधानिक गारंटी होगी। क्योंकि वह संविधान के जरिए देश में समानता स्थापित करना चाहते थे। केरी पैरी नाम के एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने माडर्न कांस्टीट्यूशन नाम से एक किताब लिखी है। उन्होंने यह किताब 1950 के बाद बने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद लिखी है। किताब में उसने बताया है कि आखिर किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उन्होंने तीन परिस्थितियों में संविधान की जरूरत बताया। पहली स्थिति के तौर पर उनका कहना है कि किसी देश में सामाजिक क्रांति के बाद जब आजादी मिलती है और सत्ता किसी एक के हाथ से निकल कर दूसरे के पास जाती है तो इस क्रम में कई बदलाव आते हैं। तब आप पहले के नियम कानून को मानते नहीं है और आपके पास नए नियम-कानून होते नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन चीजों को आप चाहते हैं उन्हें संवैधानिक वैधता की जरूरत होती है।

सोमनाथ आर्य
पत्रकार

26 नवंबर : संविधान दिवस

संविधान को लेकर दूसरी स्थिति तब होती है कि जब किसी देश को दूसरे देश की गुलामी से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में तीसरी स्थिति यह होती है कि अगर किसी देश में पहले से ही संवैधानिक लोकतंत्र था पर उसमें कोई संकट आ गया और उसने काम करना बंद कर दिया। इन तीनों परिस्थितियों में संविधान की जरूरत होती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां दो स्थितियां एक साथ थी। भारत में सामाजिक क्रांति कामयाब हो रही थी, वहीं दूसरी ओर देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो रहा था। इन दोनों स्थितियों में भारत में भी संविधान की जरूरत थी। भारत में सामाजिक क्रांति के कारण इतने ज्यादा मजबूत थे कि राजनीतिक लोग चाह कर भी संविधान निर्माण को रोक नहीं पाए। डॉ आंबेडकर के लगातार सक्रिय रहने के कारण ब्रिटिशर्स भी भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं को समझ चुके थे और संविधान के पक्ष में थे। इस तरह से भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया पर मुहर लगी। इन सारी चीजों की वजह से 9 अगस्त 1946 को 296 सदस्यों की संविधान सभा बनी। विभाजन होने के कारण इसमें से 89 सदस्य चले गए। इस तरह भारतीय संविधान सभा में 207 सदस्य बचे जो पहली बैठक में उपस्थित थे। इसमें बाबा साहेब डॉ अंबेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से चुनकर आए। इसके तुरंत बाद भारत का विभाजन हो गया, जिसके बाद बाबा साहेब जिस संविधान परिषद की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरह बाबा साहेब का निर्वाचन रद्द हो गया। बाबा साहब डॉ अंबेडकर दुबारा 14 जुलाई 1947 को पुनः चुन कर आएं।

उस वक्त यूनाइटेड किंगडम (यूके) की पार्लियामेंट में इंडियन कंस्टीट्यूएंट असेंबली का बहुत कड़ा विरोध हुआ और विरोध को दबाने के लिए नेहरू को यूके के नेताओं को समझाने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा था। बाबा साहेब डा० आंबेडकर को बाम्बे से चुनकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। क्योंकि अगर बाबा साहब को चुनकर नहीं लाया जाता तो देश का संविधान नहीं बन पाता और ऐसी स्थिति में भारत को आजादी मिलने में और वक्त लग सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास संविधान लिखने वाला कोई दूसरा नहीं था। बल्कि इसमें तथ्य यह है कि अगर बाबा साहेब डॉ आंबेडकर कांस्टीट्यूशनल असेंबली में नहीं होते तो भारत के संविधान को मान्यता नहीं मिलती। भारत को बड़े लोकतंत्र के तौर पर भी दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि तब यह माना जाता कि संविधान में भारत के बड़े वर्ग (एससी/एसटी) के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात संविधान में नहीं है। यह बात इससे भी साबित होती है क्योंकि एच०एल. ट्राइब नाम के एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ने कंस्टीट्यूशनल च्वाइसेस नाम की किताब लिखी है। उसमें उसका कहना है कि जब संविधान बनता है और उसमें बराबरी की बात होती है तो वह बराबरी दो तरह की होती है। एक कानूनी बराबरी और दूसरी असली बराबरी होती है। जो कानूनी बराबरी होती है वो लोगों को समानता का अधिकार देती है। भारतीय संविधान के तीन लक्ष्य माने जाते हैं। साथ ही इसकी तीन चुनौतियां भी हैं, संविधान का पहला लक्ष्य और चुनौती सामाजिक क्रांति है। दूसरा लक्ष्य एवं चुनौती राजनैतिक क्रांति है। इसी संदर्भ में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक अल्पसंख्यक अधिकारों का सेटलमेंट है। जिस सामाजिक क्रांति की बदौलत भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उसमें शाहूजी महाराज, जोतिबा फुले, नारायणा गुरु एवं बाबा साहब डॉ आंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। इन तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बाद बाबा साहब आंबेडकर के जरिए भारत में जो सामाजिक क्रांति आई, वह एकमात्र कारण है जिससे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। यह नहीं होता तो भारत का संविधान नहीं होता और अगर संविधान नहीं होता तो लोगों के मूलभूत अधिकारों की गारंटी भी नहीं होती। भारतीय लोगों को संविधान की जरूरत थी। संविधान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उनको एक राष्ट्र बनना था। संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनी थी। भारतीय संविधान का इतिहास ग्रेनविली आस्टीन ने एक किताब लिखी है, जिसमें उसने डॉ अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का वास्तुशिल्पी कहा है। भारतीय संविधान एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बना। आज भारत के संविधान में 448 आर्टिकल है।

असल में नंबरों के हिसाब से यह आज भी 395 ही है, लेकिन बीच-बीच में यह (1) (2) या फिर (ए) और (बी) के जरिए बढ़ता रहा है। यह 22 हिस्सों में विभाजित है और इसके 12 शेड्यूल हैं, संविधान बनने के बाद अब तक संसद के सामने 120 संशोधन लाए गए लेकिन इसमें से 98 संशोधन नहीं स्वीकार किए गए। इस पूरी प्रक्रिया में विशेष यह है कि भारत ने जो संविधान बनाया उससे भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिले। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समता, बंधुता, भेदभाव मुक्त भारत के उद्देश्यों को लेकर भारत का संविधान बना क्या वह हमें हासिल हो पाया है? इस प्रश्न के आलोक में देखें तो यह हमें सौ फीसदी तो हासिल नहीं हो पाया है कि लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान ने देश में चमत्कार कर के दिखाया है। दुनिया में जितना बड़ा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ, वह भारत में हुआ।

VRINDAVAN
सामाजिक न्याय मंच छत्तीसगढ़
द्वारा
संविधान दिवस
सेमीनार
VRINDAVAN